भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1183
दिनांक 10 दिसंबर, 2025 / 19 अग्रहायण, 1947 (शक) को उत्तर के लिए

एससी/एसटी समुदायों के खिलाफ अत्याचार रोकने हेतु कार्रवाई

1183# श्री नीरज डांगीः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास देश भर में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध अत्याचार के दर्ज मामलों के संबंध में कोई आँकड़े हैं;
(ख) यदि हाँ, तो विगत पांच वर्षों से लेकर अब तक ऐसे कुल कितने मामलों की सूचना प्राप्त हुई है और इस संबंध में उन पर राजस्थान सहित राज्य-वार क्या कार्रवाई की गई है;
(ग) क्या सरकार द्वारा बनाए गए अधिनियम एससी/एसटी समुदायों के खिलाफ अत्यचारों को रोकने और पीड़ितों को राहत प्रदान करने में सक्षम नहीं हैं; और
(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इन समुदायों की रक्षा हेतु क्या-क्या सख्त उपाय किये जा रहे हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री बंडी संजय कुमार)

(क) और (ख): राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उसे सूचित किए गए अपराधों संबंधी सांख्यिकीय आंकड़ों को संकलित करता है और इन्हें अपने प्रकाशन 'क्राइम इन इंडिया' में प्रकाशित करता है। नवीनतम प्रकाशित रिपोर्ट वर्ष 2023 से संबंधित है। वर्ष 2019-2023 के दौरान अनुसूचित जातियों (अ.जा) और अनुसूचित जनजातियों (अ.ज.जा.) के विरूद्ध अपराध/अत्याचार के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार (राजस्थान सहित) पंजीकृत मामले (सीआर), आरोप पत्रित मामले (सीसीएस), दोषसिद्ध मामले (सीओएन), गिरफ्तार व्यक्ति (पीएआर), आरोप पत्रित व्यक्ति (पीसीएस) और दोषसिद्ध व्यक्ति (पीसीवी) की संख्या क्रमशः अनुलग्नक-। और अनुलग्नक -।। में दी गई है।

राज्य सभा अता. प्र.सं. 1183, दिनांक 10.12.2025

(ग) और (घ): भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं। कानून-व्यवस्था बनाए रखने एवं अनुसूचित जातियों (एससी) और अनुसूचित जनजातियों (एसटी) सहित नागरिकों की जान-माल की रक्षा करने, पीड़ितों को राहत और मुआवज़ा देने की ज़िम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की है, जो मौजूदा क़ानूनों के प्रावधानों के तहत ऐसे अपराधों और ऐसे कृत्यों से निपटने के लिए सक्षम हैं।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989, बाद के संशोधनों के साथ, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के विरुद्ध अत्याचारों को रोकने तथा पीड़ितों को समय पर राहत और मुआवजा सुनिश्चित करने के लिए एक प्रभावी और व्यापक विधायी ढांचा प्रदान करता है।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 को और अधिक प्रभावी बनाने तथा अत्याचार पीड़ितों को बेहतर न्याय प्रदान करने और उनके साथ हुए अन्याय का बेहतर निवारण करने हेतु इस अधिनियम को "अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन अधिनियम, 2015" के माध्यम से संशोधित किया गया था। इन संशोधनों में नए अपराध, विस्तृत उपधारणा क्षेत्र और संस्थागत सुदृढ़ीकरण शामिल हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ, मामलों के शीघ्र निपटान के लिए पीओए अधिनियम के तहत अपराधों के अनन्य विचारण हेतु मुख्य रूप से विशेष न्यायालयों की स्थापना करना और विशेष लोक अभियोजकों का विनिर्देशन तैयार करना, विशेष न्यायालयो और मुख्य रूप से विशेष कोर्ट को अपराधों का स्वतः संज्ञान लेने की शक्ति प्रदान करना आदि निहित है।

इसके अलावा, पीओए अधिनियम की धारा 18 को "अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन अधिनियम, 2018" के माध्यम से संशोधित किया गया था तथा इसे दिनांक 20.08.2018 से लागू किया गया था। एफआईआर के पंजीकरण से पहले प्राथमिक जांच करना या अभियुक्त की गिरफ्तारी से पहले किसी प्राधिकारी की मंजूरी लेना अब आवश्यक नहीं है।

इसके अलावा, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सुविधा के लिए अत्याचारों के खिलाफ़ एक राष्ट्रीय हेल्पलाइन (एनएचएए) की स्थापना की गई है, जिसका टोल फ्री नंबर 14566 है, जिसका उद्देश्य उनकी शिकायतों का निवारण करना और कानून के प्रावधानों और प्रक्रियाओं के बारे में जागरूकता पैदा करना है। इन अधिनियमों, नियमों और इन अधिनियमों के कार्यान्वयन के लिए लागू केंद्र प्रायोजित योजना के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, भारत (एनएएलएसए) के साथ भी सहयोग लिया गया है।

राज्य सभा अता. प्र.सं. 1183, दिनांक 10.12.2025

गृह मंत्रालय समय-समय पर राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के खिलाफ अपराधों की रोकथाम और नियंत्रण पर जोर देने के साथ आपराधिक न्याय प्रणाली के प्रभावी प्रशासन पर ध्यान केंद्रित करने और पीओए अधिनियम और नियमों के प्रावधानों को अक्षरश: लागू करने की सलाह देता रहा है। ये परामर्श इस मंत्रालय की वेबसाइट www.mha.gov.in पर उपलब्ध हैं।

पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (बीपीआरएंडडी) पुलिस कार्मिकों को "अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) (पीओए) अधिनियम, 1989" के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु अवगत कराने के लिए समय-समय पर उनके लिए प्रशिक्षण, पाठ्यक्रम और वेबिनार आयोजित करता है।

इसके अलावा, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, "नागरिक अधिकार संरक्षण (पीसीआर) अधिनियम, 1955" तथा "अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) (अत्याचार निवारण) {पीओए} अधिनियम 1989", के कार्यान्वयन के लिए एक केंद्र प्रायोजित योजना चलाता है, जिसके तहत इन अधिनियमों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों को केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें शामिल हैं:

(i) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति संरक्षण प्रकोष्ठ और विशेष पुलिस स्टेशनों का कार्यकरण और सुदृढ़ीकरण।

(ii) विशेष न्यायालयों की स्थापना और कार्यकरण।

(iii) अत्याचार पीड़ितों की राहत और पुनर्वास।

(iv) अंतर-जाति विवाह के लिए प्रोत्साहन, जहां पति या पत्नी में से एक अनुसूचित जाति का सदस्य है।

(v) जागरूकता सृजन।

******

राज्य सभा अता. प्र. सं. 1183, दिनांक 10.12.2025
अनुलग्नक-I

वर्ष 2019-2020 के दौरान अनुसूचित जातियों (अ.जा.) के विरूद्ध अपराध/अत्याचार के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार पंजीकृत मामले (सीआर), आरोप पत्रित मामले (सीसीएस), दोषसिद्ध मामले (सीओएन), गिरफ्तार व्यक्ति (पीएआर), आरोप पत्रित व्यक्ति (पीसीएस) और दोषसिद्ध व्यक्ति (पीसीवी)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2019						2020					
		सीआर	सीसीएस	सीओएन	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी	सीआर	सीसीएस	सीओएन	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी
1	आंध्र प्रदेश	2071	928	38	2560	2174	71	1950	1615	37	3067	3302	66
2	अरुणाचल प्रदेश	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0
3	असम	21	5	0	25	16	0	28	3	0	21	6	0
4	बिहार	6544	4784	44	7483	7590	74	7368	5453	12	6170	7166	18
5	छत्तीसगढ़	341	313	47	591	564	70	316	280	23	580	484	34
6	गोवा	3	4	0	0	4	0	2	1	0	3	3	0
7	गुजरात	1416	1229	7	3116	3185	15	1326	1203	3	3081	3288	8
8	हरियाणा	1086	670	64	1308	1266	106	1210	632	6	1390	1337	12
9	हिमाचल प्रदेश	189	111	6	243	234	7	251	185	1	354	494	1
10	झारखंड	651	209	17	248	372	20	666	292	14	459	380	15
11	कर्नाटक	1504	1131	26	2775	2945	50	1398	1208	17	3667	3796	29
12	केरल	858	634	14	1041	862	20	846	655	7	991	925	7
13	मध्य प्रदेश	5300	5073	964	8660	9546	1775	6899	6718	538	10545	13254	791
14	महाराष्ट्र	2150	1800	75	4469	3777	111	2569	2133	39	6149	4907	87
15	मणिपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	मेघालय	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	नागालैंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	ओडिशा	1886	2365	2	1703	2497	2	2046	2088	5	1556	2305	5
20	पंजाब	166	76	5	255	159	11	165	97	4	276	196	9
21	राजस्थान	6794	3194	927	5594	5661	1536	7017	3328	572	6230	6213	886
22	सिक्किम	4	2	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0
23	तमिलनाडु	1144	967	89	2974	2280	123	1274	968	129	3284	2399	188
24	तेलंगाना	1690	1119	43	2433	1937	56	1959	1534	13	2522	2773	25
25	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
26	उत्तर प्रदेश	11829	9931	1619	18974	25377	3099	12714	10489	1820	18461	31268	3955
27	उत्तराखंड	84	68	17	87	143	35	87	64	0	78	86	0
28	पश्चिम बंगाल	145	89	0	50	173	0	109	128	0	114	186	0
	कुल (राज्य)	**45876**	**34703**	**4004**	**64592**	**70766**	**7181**	**50202**	**39075**	**3240**	**68998**	**84769**	**6136**
29	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	चंडीगढ़	1	0	1	0	0	2	3	0	1	2	0	1
31	दादरा और नगर हवेली तथा दमण और दीव+	2	0	0	0	0	0	1	1	0	2	1	0
32	दिल्ली	76	51	2	64	85	3	69	59	0	42	108	0
33	जम्मू और कश्मीर*	2	0	0	0	0	0	7	0	0	1	0	0
34	लद्दाख	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
35	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	पुडुचेरी	4	0	0	0	0	0	9	3	0	3	3	0
	कुल (संघ राज्य क्षेत्र)	**85**	**51**	**3**	**64**	**85**	**5**	**89**	**63**	**1**	**50**	**112**	**1**
	कुल (अखिल भारतीय)	**45961**	**34754**	**4007**	**64656**	**70851**	**7186**	**50291**	**39138**	**3241**	**69048**	**84881**	**6137**

स्रोत: क्राइम इन इंडिया

नोट: '+' वर्ष 2019 के लिए पूर्ववर्ती दादरा और नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र तथा दमण और दीव संघ राज्य क्षेत्र का संयुक्त आंकड़े

'*' वर्ष 2019 के लिए लद्दाख सहित पूर्ववर्ती जम्मू और कश्मीर राज्य के आंकड़े

राज्य सभा अता. प्र. सं. 1183, दिनांक 10.12.2025
अनुलग्नक-I

वर्ष 2021-2023 के दौरान अनुसूचित जातियों (अ.जा.) के विरूद्ध अपराध/अत्याचार के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार पंजीकृत मामले (सीआर), आरोप पत्रित मामले (सीसीएस), दोषसिद्ध मामले (सीओएन), गिरफ्तार व्यक्ति (पीएआर), आरोप पत्रित व्यक्ति (पीसीएस) और दोषसिद्ध व्यक्ति (पीसीवी)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2021						2022						2023					
		सीआर	सीसीएस	सीओएन	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी	सीआर	सीसीएस	सीओएन	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी	सीआर	सीसीएस	सीओएन	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी
1	आंध्र प्रदेश	2014	1915	19	2749	4017	25	2315	1571	42	3255	3757	83	2027	1496	27	2604	3714	58
2	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	असम	15	3	0	11	4	0	14	3	0	15	6	0	5	4	0	14	10	0
4	बिहार	5842	4588	48	5089	6311	80	6509	5135	146	5863	6683	473	7064	8371	180	9170	13218	456
5	छत्तीसगढ़	330	337	20	690	674	45	323	358	253	727	711	435	250	252	76	486	464	164
6	गोवा	4	3	0	0	4	0	8	7	0	0	9	0	4	4	0	4	21	0
7	गुजरात	1201	1144	8	2823	2934	17	1279	1182	12	2655	2777	17	1373	1287	46	2793	3118	79
8	हरियाणा	1628	738	44	1480	1379	74	1633	744	54	1531	1470	113	1539	806	68	1543	1468	103
9	हिमाचल प्रदेश	244	144	2	349	328	3	210	148	5	165	289	9	229	130	15	145	224	18
10	झारखंड	546	460	28	568	691	30	674	318	28	511	512	29	604	296	36	389	472	45
11	कर्नाटक	1673	1556	10	4301	4270	18	1977	1636	15	4162	4112	24	1923	1718	24	4677	4733	37
12	केरल	948	1111	42	1459	1587	49	1050	957	50	1257	1413	56	1128	957	110	1077	1307	121
13	मध्य प्रदेश	7214	7236	720	7944	13339	1217	7733	7588	902	6735	15720	1411	8232	8029	1055	4896	14533	1688
14	महाराष्ट्र	2503	2357	45	5976	5302	68	2743	2371	89	5379	5062	179	3024	2790	88	4676	5547	132
15	मणिपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	मेघालय	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	5	5	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0
18	नागालैंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	ओडिशा	2327	2032	1	681	2193	1	2902	3090	40	1433	3169	40	2696	2778	2	2120	3576	5
20	पंजाब	200	96	6	249	168	11	162	69	11	266	125	16	116	108	6	201	170	13
21	राजस्थान	7524	3726	583	7013	6722	1034	8752	4031	631	7701	7577	1104	8449	3480	1560	5820	6094	1888
22	सिक्किम	2	1	0	2	1	0	3	0	1	0	0	1	0	2	0	2	2	0
23	तमिलनाडु	1377	1050	104	3154	2184	144	1761	1297	138	3606	2621	214	1921	1502	115	4343	3206	172
24	तेलंगाना	1772	1550	30	2321	2873	50	1787	1979	44	2459	3286	59	1709	1154	36	1329	2578	54
25	त्रिपुरा	3	0	0	0	0	0	2	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
26	उत्तर प्रदेश	13146	11358	1930	20067	29745	3612	15368	12996	3168	23212	33711	6772	15130	13560	2990	18827	33366	6866
27	उत्तराखंड	123	87	0	88	130	0	114	99	0	79	180	0	102	78	8	48	128	9
28	पश्चिम बंगाल	108	122	0	126	249	0	104	123	0	112	340	0	102	87	1	82	223	1
	कुल (राज्य)	**50744**	**41614**	**3640**	**67140**	**85105**	**6478**	**57428**	**45708**	**5629**	**71128**	**93536**	**11035**	**57627**	**48889**	**6443**	**65246**	**98172**	**11909**
29	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	4	1	0	1	1	0	3	1	1	0	4	1
31	दादरा और नगर हवेली तथा दमण और दीव	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
32	दिल्ली	136	100	0	197	216	0	130	99	0	195	181	0	128	115	30	144	161	57
33	जम्मू और कश्मीर	13	3	0	16	9	0	11	6	0	17	17	0	26	10	0	36	36	0
34	लद्दाख	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	पुडुचेरी	7	6	0	18	6	0	9	13	0	35	29	0	4	2	0	7	7	0
	कुल (संघ राज्य क्षेत्र)	**156**	**110**	**0**	**231**	**232**	**0**	**154**	**119**	**0**	**248**	**228**	**0**	**162**	**128**	**31**	**188**	**208**	**58**
	कुल (अखिल भारतीय)	**50900**	**41724**	**3640**	**67371**	**85337**	**6478**	**57582**	**45827**	**5629**	**71376**	**93764**	**11035**	**57789**	**49017**	**6474**	**65434**	**98380**	**11967**

स्रोत: क्राइम इन इंडिया

राज्य सभा अता. प्र. सं. 1183, दिनांक 10.12.2025

अनुलग्नक-II

वर्ष 2019-2020 के दौरान अनुसूचित जनजातियों (अ.ज.जा.) के विरुद्ध अपराध/अत्याचार के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार पंजीकृत मामले (सीआर), आरोप-पत्रित मामले (सीसीएस), दोषसिद्ध मामले (सीओएन), गिरफ्तार व्यक्ति (पीएआर), आरोप-पत्रित व्यक्ति (पीसीएस) और दोषसिद्ध व्यक्ति (पीसीवी)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2019						2020					
		सीआर	सीसीएस	सीओएन	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी	सीआर	सीसीएस	सीओएन	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी
1	आंध्र प्रदेश	330	193	2	511	454	4	320	234	1	491	582	7
2	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	असम	4	1	0	3	1	0	10	0	0	4	0	0
4	बिहार	97	85	2	127	161	3	94	75	0	107	94	0
5	छत्तीसगढ़	427	387	39	660	624	55	502	462	47	825	798	50
6	गोवा	2	2	0	0	2	0	2	2	0	0	6	0
7	गुजरात	321	289	5	727	752	7	291	253	1	659	663	2
8	हरियाणा	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
9	हिमाचल प्रदेश	1	1	0	1	1	0	3	1	0	2	1	0
10	झारखंड	342	242	10	237	302	10	347	86	8	143	143	9
11	कर्नाटक	327	249	3	800	769	9	293	262	1	828	844	8
12	केरल	140	94	2	139	119	2	130	109	7	115	140	7
13	मध्य प्रदेश	1922	1845	414	2643	3132	638	2401	2362	151	3532	4371	251
14	महाराष्ट्र	559	447	30	1105	888	47	663	633	12	1475	1411	14
15	मणिपुर	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
16	मेघालय	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	मिजोरम	8	8	0	8	8	0	0	0	0	0	0	0
18	नागालैंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	ओडिशा	576	682	0	481	752	0	624	575	0	564	652	0
20	पंजाब	1	0	0	1	0	0	4	1	0	3	1	0
21	राजस्थान	1797	832	194	1585	1674	327	1878	918	114	1933	1883	222
22	सिक्किम	2	2	1	2	2	1	0	0	0	0	0	0
23	तमिलनाडु	31	28	6	81	46	10	23	14	0	48	26	0
24	तेलंगाना	530	420	31	868	710	33	573	407	2	710	726	3
25	त्रिपुरा	2	2	0	0	3	0	2	0	0	1	0	0
26	उत्तर प्रदेश$	36	51	1	94	144	1	3	3	1	9	9	30
27	उत्तराखंड	8	7	1	10	9	1	13	11	2	15	19	2
28	पश्चिम बंगाल	99	49	0	65	93	0	90	69	0	100	138	0
	कुल (राज्य)	**7565**	**5917**	**741**	**10149**	**10647**	**1148**	**8268**	**6477**	**347**	**11564**	**12507**	**605**
29	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	3	0	0	2	0	0	2	3	0	2	3	0
30	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	दादरा और नगर हवेली तथा दमण और दीव+	0	1	0	8	6	0	0	1	0	8	6	0
32	दिल्ली	2	0	0	0	0	0	1	3	0	4	6	0
33	जम्मू और कश्मीर*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	लद्दाख	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
35	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
36	पुडुचेरी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल (संघ राज्य क्षेत्र)	**5**	**1**	**0**	**10**	**6**	**0**	**4**	**7**	**0**	**14**	**15**	**0**
	कुल (अखिल भारतीय)	**7570**	**5918**	**741**	**10159**	**10653**	**1148**	**8272**	**6484**	**347**	**11578**	**12522**	**605**

स्रोत: क्राइम इन इंडिया

नोट: '+' वर्ष 2019 के लिए पूर्ववर्ती दादरा और नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र तथा दमण और दीव संघ राज्य क्षेत्र के संयुक्त आंकड़े

'*' वर्ष 2019 के लिए लद्दाख सहित पूर्ववर्ती जम्मू और कश्मीर राज्य के आंकड़े

राज्य सभा अता. प्र. सं. 1183, दिनांक 10.12.2025
अनुलग्नक-II

वर्ष 2021-2023 के दौरान अनुसूचित जनजातियों (अ.ज.जा.) के विरुद्ध अपराध/अत्याचार के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार पंजीकृत मामले (सीआर), आरोपपत्रित मामले (सीसीएस), दोषसिद्ध मामले (सीओएन), गिरफ्तार व्यक्ति (पीएआर), आरोपपत्रित व्यक्ति (पीसीएस) और दोषसिद्ध व्यक्ति (पीसीवी)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2021						2022						2023					
		सीआर	सीसीएस	सीओएन	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी	सीआर	सीसीएस	सीओएन	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी	सीआर	सीसीएस	सीओएन	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी
1	आंध्र प्रदेश	361	346	3	496	768	3	396	280	2	420	577	2	361	296	5	311	668	24
2	अरुणाचल प्रदेश	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	असम	16	9	0	22	12	0	9	7	1	12	9	3	2	8	0	9	9	0
4	बिहार	103	66	4	56	123	4	146	102	1	111	148	1	114	124	2	158	205	5
5	छत्तीसगढ़	506	512	27	932	934	35	516	546	200	1022	1000	253	336	342	64	563	560	84
6	गोवा	5	4	0	2	6	0	1	1	1	1	1	1	2	1	0	0	1	0
7	गुजरात	341	328	0	881	865	0	330	286	6	719	782	12	307	297	15	648	774	44
8	हरियाणा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	हिमाचल प्रदेश	7	6	0	23	21	0	4	4	0	16	25	0	7	6	0	12	18	0
10	झारखंड	250	144	17	193	191	23	283	121	21	226	223	21	308	152	22	165	192	22
11	कर्नाटक	361	346	0	964	925	0	438	341	3	1083	1051	7	434	403	3	1263	1319	3
12	केरल	133	112	9	142	140	9	172	174	11	210	237	12	185	172	20	190	263	20
13	मध्य प्रदेश	2627	2547	336	2668	4557	497	2979	2913	417	2646	5238	579	2858	2727	407	1890	5003	610
14	महाराष्ट्र	628	557	12	1280	1132	13	742	591	26	1316	1234	30	773	682	37	1121	1365	47
15	मणिपुर	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	3399	5	0	15	5	0
16	मेघालय	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	मिजोरम	0	0	8	0	0	8	29	29	2	29	29	2	21	19	0	21	19	0
18	नागालैंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	ओडिशा	676	647	0	290	715	0	773	807	9	759	872	9	662	696	0	523	732	0
20	पंजाब	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	राजस्थान	2121	950	125	1979	1955	215	2521	1109	183	2132	2154	321	2453	942	299	1655	1738	448
22	सिक्किम	1	1	0	1	1	0	4	1	0	1	1	0	2	0	0	2	0	0
23	तमिलनाडु	39	18	0	54	27	0	67	59	0	89	78	0	48	45	0	83	63	0
24	तेलंगाना	512	505	7	820	952	17	545	575	18	737	985	27	575	401	22	548	753	29
25	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	9	4	0	5	10	0
26	उत्तर प्रदेश$	4	3	0	8	8	0	5	4	0	0	8	0	6	5	0	5	8	0
27	उत्तराखंड	6	4	0	6	7	0	1	1	0	1	1	0	2	1	0	10	1	0
28	पश्चिम बंगाल	92	73	0	70	149	0	90	101	1	114	209	1	90	94	5	129	197	5
	कुल (राज्य)	**8790**	**7178**	**548**	**10889**	**13488**	**824**	**10055**	**8052**	**902**	**11645**	**14862**	**1281**	**12954**	**7422**	**901**	**9326**	**13903**	**1341**
29	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	3	4	0	7	8	0	3	3	0	2	4	0	2	1	0	4	2	0
30	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	दादरा और नगर तथा दमण और दीव	3	1	0	3	2	0	5	4	0	15	10	0	2	3	0	13	6	0
32	दिल्ली	5	3	0	4	7	0	0	1	0	1	1	0	2	1	0	1	1	0
33	जम्मू औरे कश्मीर	1	0	0	0	0	0	1	1	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0
34	लद्दाख	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
36	पुडुचेरी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल (संघ राज्य क्षेत्र)	**12**	**8**	**0**	**14**	**17**	**0**	**9**	**10**	**0**	**20**	**18**	**0**	**6**	**5**	**0**	**18**	**9**	**0**
	कुल (अखिल भारतीय)	**8802**	**7186**	**548**	**10903**	**13505**	**824**	**10064**	**8062**	**902**	**11665**	**14880**	**1281**	**12960**	**7427**	**901**	**9344**	**13912**	**1341**

स्रोत: क्राइम इन इंडिया / $ 2019 के संशोधित आंकड़े उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा 2021 में प्रस्तुत किए गए हैं। इसलिए, तुलनात्मक रूप से वर्ष 2019 के संबंध में अनुसूचित जनजातियों के खिलाफ अपराध/अत्याचार के पुराने प्रकाशित आंकड़ों में अंतर हो सकता है।